

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4908
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

पशु कल्याण संबंधी कार्यक्रम

4908. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुपालन और पशु कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले संभावित विशेष कार्यक्रमों अथवा पहलों का ब्यौरा क्या है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उक्त क्रियाकलापों में किसानों, डेयरी उत्पादकों और पशु कल्याण संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं;

(ग) क्या पशु चिकित्सकों और पशुपालकों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पशुपालन और पशु कल्याण को सहायता प्रदान करने के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन या अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख). भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार पशुपालन और पशु कल्याण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 14 जनवरी से 13 फरवरी तक को "पशुपालन और पशु कल्याण जागरूकता माह" के रूप में नामित किया है। इस अवधि के दौरान, किसानों, डेयरी उत्पादकों और पशु कल्याण संगठनों की जागरूकता के लिए विभिन्न पशुपालन विकास कार्यक्रमों और कल्याण कार्यकलापों को शामिल करते हुए एक गहन अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकारों, पशु कल्याण संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी कार्यशालाएँ, ऑनलाइन वेबिनार, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण अभियान, जागरूकता कार्यक्रम (गोष्ठियाँ), पशुपालन मेले और प्रतियोगिताएँ जैसे कि सर्वोत्तम दूध उत्पादन पुरस्कार, पशु प्रदर्शनियाँ और स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों के लिए पशु कल्याण और पशुपालन विषयों पर प्रतियोगिताएँ आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पशु कल्याण में लगी गौशालाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस वर्ष यह अभियान 14 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 तक चलाया गया, जिसे 13 मार्च, 2025 तक बढ़ाया गया। इस अवधि में विभिन्न राज्यों द्वारा 672 स्वास्थ्य जांच शिविर, 641 बांझपन शिविर, 598 जागरूकता शिविर/गोष्ठियां, 408 टीकाकरण शिविर, 118 कार्यशालाएं, गौशालाओं के लिए 126 कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में 100 प्रतियोगिताएं, 38 बछड़ा (काल्फ) रैलियां, 35 पशुधन मेले, 30 दूध प्रतियोगिताएं/शुद्ध नस्ल प्रतियोगिताएं, 16 ऑनलाइन वेबिनार, 9 रेडियो और टीवी कार्यक्रम और 495 अन्य कार्यक्रम किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने पशु चिकित्सकों, पैरा-पशु चिकित्सकों, पशुपालकों, राज्य पशुपालन विभागों और राज्य पशु कल्याण बोर्डों को जोड़ते हुए एक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया।

(ग) और (घ) जागरूकता कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया कि वे निर्दिष्ट माह के दौरान पशु चिकित्सकों और पशुपालकों के लिए आवश्यकतानुसार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

(ड) और (च) राज्य सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजनाओं जैसी मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत निधियन प्राप्त कर सकती है।
